


(260)

III (निग ०) अ.नं. 2018/0/669

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा संभाग रीवा म०प्र०



रीवा संभाग रीवा म०प्र०  
X 10

मथुरा यादव पिता श्री भगवतदीन यादव आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम  
मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०.....निगराकार  
बनाम

मो०उमर खान तनय स्व०फकीर मोहम्मद आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम  
मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना.....गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार  
तहसील मझगवां जिला सतना के  
रा०प्र०क०-139ए12/99-2000 मे पारित  
सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 10/07/2000  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०  
मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

**प्रकरण के तथ्य**

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा परेबा तहसील  
मझगवां जिला सतना की आराजी नं०-28/2ख/3/क रकवा 0.437हे०  
का निगराकार भूमि स्वामी है उक्त आराजी पर निगराकार काबिज  
होकर खेती,कास्तकारी करता है गैरनिगराकार के द्वारा न्यायालय  
तहसीलदार तहसील मझगवां के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 250  
म०प्र०भू०रा०सं० के तहत मौजा परेबा तहसील मझगवां जिला सतना  
स्थित आराजी नं०-28/2ब/1/1/2/1 रकवा 1.00ए० का गैरनिगराकार  
भूमि स्वामी है तथा आराजी नं- 28/2ब/1/1/2/2 रकवा 0.50ए०  
की गैरनिगराकार की पत्नी श्रीमती नजमा भूमि स्वामी है। आराजी  
नं०-28/2ब/1/1/2/1 रकवा 1.00ए० का सीमांकन जरिये  
प्र०क०-139अ12/99-2000 निर्णय दिनांक 10/07/2000 को  
किये जाने पर 0.04ए० पर एवं आराजी नं- 28/2ब/1/1/2/2 रकवा  
0.50ए० का सीमांकन जरिये रा०प्र०क०-140अ-12/99-2000  
पारित आदेश दिनांक 10/07/2000 से किये जाने पर जुज रकवा

INDIA  
TWO RUPEES  
विनोद यादव

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




मथुरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/मू-रा0/2018/1669

जिला-सतना

मथुरा यादव/ मो0 उमर खॉ

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रामानन्द मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील मझगवां, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 139/ए-12/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य         </p>